स्काउट्स एण्ड गाइड्स

कार्यालय आयुक्त, आदिवासी विभाग
मध्यप्रदेश

क्रमांक/क्रीड़ा/81/93-94/29234

भोपाल, दिनांक 9 नवम्बर 1993

प्रति,

(1) सर्व सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास (म. प्र.)

(2) जिला संयोजक,
आदिम जाति कल्याण,
. . . . (म. प्र.)

विषय:— स्काउट/गाइड्स स्कूलों में स्थापना बाबत्

आदिम जाति अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अन्तर्गत संचालित कितने हाई स्कूल/उ. मा. वि./आदर्श स्कूल एवं माध्यमिक शालाओं में स्काउट/गाइडस संचालित हैं एवं शेष विद्यालयों में खोलने हेतु क्या कार्यवाही की गई, पूर्ण ब्यौरे के साथ जानकारी दिनांक 30-11-1993 तक आवश्यक रूप से इस कार्यालय को भिजवायें. जानकारी शालाओं की श्रेणी वार अर्थात् माध्यमिक, हाई स्कूल, उ. मा. वि. वार (कन्या व बालक अलग-अलग) तैयार कर भेजी जाय.

हस्ता./-
अपर संचालक,
वास्ते-आयुक्त, आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश.

पृ. क्र. /क्रीड़ा/81/93-94/29235

भोपाल, दिनांक 9 नवम्बर 1993

प्रतिलिपि :—

1. प्रादेशिक सचिव, म. प्र. भारत स्काउट्स/गाइड्स राज्य परिवहन नगर डिपो के पास, श्यामला हिल्स रोड, भोपाल म. प्र. की ओर अग्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र में उल्लेखित जानकारी उपलब्ध हो तो इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें.
2. संभागीय उप आयुक्त आदिवासी विकास . . . . (म. प्र.)
3. क्षेत्रीय उप संचालक आदिम जाति कल्याण . . . . (म. प्र.)
4. सर्व जिला कमिश्नर, स्काउट्स/गाइड्स एवं सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास (म. प्र.) की ओर प्रेषित.चाही गई वांछित जानकारी शीघ्र भेजें.

हस्ता./-
अपर संचालक,
वास्ते-आयुक्त, आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश.

कार्यालय आयुक्त, आदिवासी विभाग
मध्यप्रदेश

क्रमांक/क्रीड़ा/81/94/24811

भोपाल, दिनांक 1 अगस्त 1994

प्रति,

जिला कमिश्नर स्काउट/गाइड्स
सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास बैतूल, सिवनी, सरगुजा,
बस्तर, धार, झाबुआ, रायगढ़, खरगौन,
शहडोल, सीधी (म. प्र.).

विषयः— स्काउट/गाइड्स शुल्क जमा करने बावत्.

सन्दर्भ :— इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/बजट/उपयोजना/93/20852, दिनांक 17-8-94.

विषयांकित प्रकरण में संदर्भित पत्र का अवलोकन हो. स्काउट/गाइड्स प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन, स्काउट/गाइड पंजीयन समय-समय पर होने वाले रेंजर/रोबर कोर्स आपको रु. 20,000/- के मान से 10 सहायक आयुक्तों को कुल रुपये 2,00,000/- (रुपये दो लाख) मात्र का आवंटन प्रदाय किया गया है.

उक्त आवंटित राशि वर्ष 1993-94 के लिए किसी भी सहायक आयुक्त जिला कमिश्नर स्काउट/गाइडस द्वारा आदिवासी विकास खण्ड से स्काउट/गाइडस दल के पंजीयन की राशि प्रादेशिक सचिव, म. प्र. भारत स्काउट्स/गाइट्स संस्थान भोपाल को भेजी गई है. यह राशि शाला स्तर अथवा जिला मुख्यालय पर ही लंबित है. तत्काल राशि उपलब्ध कराकर एक सप्ताह के भीतर की गई कार्यवाही से अवगत करावें.

हस्ता./-
अपर संचालक,
आयुक्त, आदिवासी विकास, म. प्र.

कार्यालय आयुक्त, आदिवासी विभाग
मध्यप्रदेश

क्रमांक/क्रीड़ा/10/2000/3393 भोपाल, दिनांक 5 जून 200

प्रति,

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास
पदेन जिला कमिश्नर
स्काउट एवं गाइड
जिला . . . . (म. प्र.)

विषयः— आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों में जिला संघों के गठन बाबत्.

सन्दर्भ :— भारत स्काउट/गाइड, म. प्र. का पत्र क्र. 450/रा, मु./जि. सं./निर्वाचन 2000 दिनांक 29-4-2000.

उपर्युक्त संदर्भित विषयक भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र का अवलोकन करें. राज्य परिषद् की बैठक में प्रमुख सचिव म. प्र. शासन, आदिम जाति कल्याण से चर्चानुसार यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को स्काउट/गाइड प्रशिक्षण का लाभ मिल सके तथा गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता हो सके, इसे दृष्टिगत रहते हुये ट्रायबल विभाग, जह सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास पदस्थ हैं, पदेन जिला कमिश्नर स्काउट/गाइड होंगे तथा भारत स्काउट/गाइड तथा संघ का विधिवत गठन किय जाकर स्काउट/गाइड गतिविधियाँ संचालित की जावेगी.

साथ ही भारत स्काउट/गाइड जिला संघ ट्रायबल को पृथक से अधिमान्यता इस आधार पर दी जा सकेगी कि कम से कम 1500 स्कूउट एवं 500 गाइड पंजीकृत हों तथा विधिवत् नवीनीकरण कराने के साथ जिला संघों के नियमित त्रिवार्षिक निर्वाचन सम्पन्न कराये जाये.

हस्ता./-
सहायक आयुक्त,
वास्ते-आयुक्त, आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश.

पृ. क्र./क्रीड़ा/10/3394

भारत स्काउट एवं गाइड, मध्यप्रदेश

राज्य मुख्यालय

शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल–17

क्रमांक/रा./मु./कम्प्यूटर/1760/00 दिनांक 22-07-00

प्रति,

1. आयुक्त,
   लोकशिक्षण संचालनालय,
   मध्यप्रदेश, भोपाल.
2. आयुक्त,
   आदिम जाति कल्याण विभाग,
   मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन,
   भोपाल.

विषयः— भारत स्काउट एवं गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा स्काउट–गाइड छात्र अभिदान की राशि का पुनरीक्षण.

महोदय,

भारत स्काउट एवं गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय नई–दिल्ली द्वारा स्काउट/गाइड अभिदान की दरों का पुनरीक्षण किया गया है. तदानुसार ही प्रदेश में अभिदान दरों का पुनरीक्षण किया जा रहा है. इस कार्यालय द्वारा संशोधित अभिदान की दरें निम्नवत हैं :—

क्र.	शुल्क	पूर्व में ली जाने वाली शुल्क राशि (रुपये)	संशोधित दरें
(क)	कोटामनी शुल्क		
	1. कब/बुलबुल	03.00	04.00
	2. स्काउट/गाइड/रोवर/रेंजर	05.00	07.00
	3. प्रशिक्षक (वयस्क)	05.00	10.00
(ख)	दल पंजीयन/नवीनीकरण शुल्क		
	1. कब/बुलबुल प्रति दल	05.00	08.00
	2. स्काउट/गाइड प्रति दल	20.00	25.00
	3. संस्थागत/स्वतंत्र दल रोवर/रेंजर	25.00	30.00
	4. अंशदान	05%	05%

उपरोक्त संशोधित दरें वर्ष 2000–2001 से लागू होगी.

उल्लेखनीय यह है कि संशोधित रजिस्ट्रेशन, कोटामनी से विद्यालय के छात्र/छात्राओं पर संशोधित दरों का कोई प्रभाव नहीं होगा. यहाँ, यह और स्पष्ट कर देना आवश्यक प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय मुख्यालय दिल्ली ने जो दरें बढ़ाई हैं उसमें कब/बुलबुल/स्काउट/गाइड/रोवर/रेंजर पर नई दरें प्रभावित करेंगी जो अत्यन्त नगण्य होगी.

निवेदन है कि प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/पदेन जिला कमिश्नर का संशोधित दरों के अनुसार पंजीयन/नवीनीकरण एवं 5% अंशदान राशि भेजने के का कष्ट करें.

हस्ता./–

(डॉ. मुमताज जहाँ खान)

राज्य सचिव.